न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/3142 विरूद्ध आदेश दिनांक 1-7-2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2015-16.

---

1. परबेज हुसैन अंसारी पिता स्व. जाहिर हुसैन अंसारी
2. शाकिब हुसैन पिता आबिद हुसैन नाबालिग
   द्वारा संरक्षक आबिद हुसैन
   पिता स्व. जाहिर हुसैन अंसारी
   निवासीगण ग्राम बडवाई
   तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

वरूण कुमार पुत्र स्व. व्ही.के. कुमार
निवासी मकान नम्बर 9, 10 C.I. इन्क्लेव
चूना भट्टी कोलार रोड
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदक

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच.आर. पटेल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 1-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम मुरलीखेड़ी स्थित खसरा नम्बर 10/2, 23/1 एवं 23/2 रकबा 1.117, हेक्टेयर, 4.840 हेक्टेयर एवं 5.957 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार (राजस्व निरीक्षक) तहसील सांची जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक मंडल दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ-12/2015-16 दर्ज कर दिनांक 1-7-2017 को सीमांकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

1. It is most humbly submitted that the applicant no. 1 is the owner and possession holder of the land bearing Khasra No. 23/3/3 & 23/3/2/1 having total raqba of 2,977 hectares and the non-applicant no. 2 is the owner and possession holder of land bearing Khasra No 22/2/1 and 22/3/1 having total raqba of 4.046 hectares situated at Gram Murlikhedi, Tehsil and District Raisen.
2. The Applicant has filed an application for demarcation of the non-applicants land in which the Tehsildar had vide its order dated 01/072016 in case no. 17/Aa-12/15-16 allowed the said application for demarcation of the applicants. That prima facie the demarcation was done by filing a defected application as there was.
3. Mis-joinder of parties as the non-applicant no. 2 Shakib Hassar was joined as a party in his own capacity even after the fact that the was a minor and could not have joined as a party That no notice of the said proceedings was ever given to the applicants being the neighboring land holder of the non

applicants. That it is pertinent to mention here that the said demarcation was done without preparing the field book and demarcation without the said exercise is contrary to the law applicable in the present regard. That the demarcation under challenge was performed without considering the valid objections raised by the petitioner during the preparation of demarcation order i.e. non consideration of permanent markers and miners of the disputed land in the site. That the information of the said order was only received by the applicants on 25.06.2017 and therefore the present application has been filed with an application for condonation of delay and the delay is bonafide.

That hence in the light of the above it is humbly prayed that the demarcation under challenge be set aside as the same being country to the facts of the present case and also being country to the law application.

तर्कों के समर्थन में 2006 आर.एन. 218 (उच्च न्यायालय), 2010 आर.एन. 48 (उच्च न्यायालय), 1998 आर.एन. 16, ए.आई.आर. 1987 सुप्रीम कोर्ट 1353 एवं 2000 आर.एन. 351 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की है, जिसके सीमांकन कराने का अधिकार उसे है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सीमांकन की विधिवत सूचना दी गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक पक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर आवेदक सहित उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के प्रावधानों का पालन करते हुए विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा

आवेदक के स्वामित्व की भूमि से अवैध कब्जा नहीं हटाना चाहते हैं, इसलिए उनके द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किये जाने हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमियों के सीमांकन के सम्बन्ध में आवेदकगण को सूचना दी गई है और सूचना पत्र पर तामील स्वरूप पर आवेदक पक्ष के हस्ताक्षर भी हैं । सीमांकन पंचनामा से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा उपस्थित पंचों एवं आवेदक पक्ष की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन किया जाकर पंचनामा बनाया गया है, जिस पर आवेदक पक्ष सहित उपस्थित पंचों के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक पक्ष द्वारा सीमांकन कार्यवाही से असंतुष्ट होने से कब्जा नहीं छोड़ना अंकित किया गया है, किन्तु सीमांकन कार्यवाही में क्या अवैधानिकता है, इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक पक्ष अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमियों से कब्जा नहीं हटाने के उद्देश्य से कार्यवाही की जा रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मंडल दीवानगंज तहसील व जिला रायसेन द्वारा पारित दिनांक 1-7-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर